1 FEB 2012
Muni Maya Ram Marg,
T. V. Tower, Pitam Pura,
Delhi-110088

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(01)/2012–क0सं0 एवं भाषा/ 4313–4317 दिनांक: 30.1.2012

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी परिसर, दिल्ली.

विषयः दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।

महोदय/महोदया,

इस सरकार के इस विभाग को दिल्ली सरकार के विभागों तथा उनसे जुड़े उपक्रमों/निकायों/संस्थानों में राजभाषा अधिनियम, 1963, दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2003 एवं राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों तथा इनके अन्तर्गत जारी आदेशों/निदेशों के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में कार्य न किए जाने संबंधी गणमान्य व्यक्तियों/सामान्य व्यक्तियों/कर्मचारियों से ऐसे पत्र बार–बार प्राप्त होते रहते हैं और यह विभाग उनके पत्रों का संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं पाता है। जबकि इस सरकार की दिनांक 14.01.2004 की अधिसूचना सं0 7 (9)/97–भाषा के अनुसार हिन्दी को दिल्ली की राजभाषा पहले ही घोषित किया जा चुका है और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किसी भी विभाग में निर्धारित प्रतिशत में कार्य नहीं हो रहा है, जो विभागों का हिन्दी के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

जबकि दिल्ली सरकार के अधिकतर अर्थात् 80प्रतिशत से अधिक कर्मचारी/अधिकारी हिन्दी में प्रवीण है और लगभग सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी रखते है और यह विभाग हिन्दी में प्रवीण ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों आदि से हिन्दी में टिप्पण, प्रारूपण इत्यादि के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग करने की आशा करता है। जबकि वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । यहां तक कि हिन्दी में लिखे गए अथवा हस्ताक्षरित पत्रों तक का उत्तर भी जनसाधारण, गणमान्य व्यक्तियो, कर्मचारियों, स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं आदि को अंग्रेजी में दिया जाता है। इस संबंध में राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 एवं नियम 7 (1) (2) एवं 7 (3) में स्पष्ट उल्लेख है जिसके उद्धरण अनुपालन हेतु निम्न प्रकार हैं :–

नियम 5 के अनुसार हिन्दी पत्रादि के उत्तर नियम 3 और 4 के किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में पत्रादि के उत्तर हिन्दी में दिये जायेंगे।

आवेदन, अभ्यावेदन आदि :– 7. (1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिनका कर्मचारी पर तामिल किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के सभी उपबंधों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यथोचित निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेश सचदेवा)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष सं0: 23392152
दिनांक: 30.1.2012

फा.स. 08(01)/2012–क0सं0 एवं भाषा/4318-4328

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :–

1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 31 उत्तरी परिसर नार्थ, राम कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली–01.
3. सचिव सभी भाषा अकादमियां एवं साहित्य कला परिषद, डॉ0 गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्, करोल बाग, दिल्ली/नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. मुख्य मंत्री महोदया के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
6. सभी मंत्रियों के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8. अध्यक्ष, नागरी लिपि परिषद्, राजघाट, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
9. सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास सरस्वती बाल मंदिर, नारायणा विहार, नई दिल्ली–28 को सूचनार्थ।
10. श्री जनक लाल साहू, ई–57, सी–45, सुन्दर नगर, नई दिल्ली–13 को उनके दिनांक 26.12.2011 के पत्र के संदर्भ में।
11. सलाहकार (जनकल्याण), मुख्यमंत्री कार्यालय, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को उनके दिनांक 28.12.2011 के पत्र के संदर्भ में।

(डॉ0 नीमा जोशी)
हिन्दी अधिकारी